

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236437
CG-DL-E-09062022-236437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]
No. 415]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

सा.का.नि 436(अ).--- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 में,-

(i) नियम 4 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4)(क) जहाँ रजिस्ट्रार, प्ररूप एसटीके-2 में किए गए आवेदन की जाँच करने पर, यह पाता है कि आगे और जानकारी माँगना आवश्यक है या यह पाता है कि ऐसा आवेदन अथवा उसके साथ उपाबद्ध कोई दस्तावेज किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण

या अपूर्ण हैं, तो वह आवेदक को यह सूचित करेगा कि वह ऐसी त्रुटियों को दूर करे और ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पूर्ण प्ररूप को पुनःप्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में ऐसे प्ररूप को अमान्य मानेगा, और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

(ख) प्ररूप या दस्तावेज के पुनःप्रस्तुत करने के पश्चात्, यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि प्ररूप या दस्तावेज किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है, तो वह ऐसी त्रुटियों को हटाने और प्ररूप को पूर्ण करने के लिए पंद्रह दिन का आगे और समय देगा, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में प्ररूप को अमान्य मानेगा, और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

(ग) कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व यदि प्ररूप एसटीके-2 में आवेदन की कोई पुनःप्रस्तुति की गई है तो ऐसी पुनः प्रस्तुति को ऐसे प्ररूप की पुनःप्रस्तुतियों की अधिकतम संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।”।

(ii) प्ररूप सं. एसटीके-1, प्ररूप सं. एकटीके-5 और प्ररूप सं. एसटीके-5 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएँगे, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. एसटीके-1 रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस <i>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना)</i> <i>नियम, 2016 नियम 3 के अनुसरण में]</i> ----- भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय.....(राज्य) (कंपनी रजिस्ट्रार का पता)	
पत्र सं.....	तारीख
संदर्भ: कंपनी अधिनियम, 2013 में मैसर्स.....के मामले में	
सेवा में, 	
(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) के अनुसरण में, नोटिस दिया जाता है कि उपलब्ध अभिलेख के अनुसार,-	
☐ कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना कारोबार प्रारंभ करने में असफल रही है; ☐ कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि में कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है और	

इस अवधि में धारा 455 के अधीन एक निष्क्रिय कंपनी का स्तर प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है;

- ☐ ज्ञापन के अभिदाताओं ने अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने किसी कंपनी के निगमन के समय करने का वचन दिया था और धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन उसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर इस आशय की कोई घोषणा फाइल नहीं की गई है।

(जो लागू है उस पर निशान लगाएं)

- (2) अतः, पूर्वोक्त कारण/कारणों के आधार पर, मैं कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों, यदि कोई हो, सहित अपना अभ्यावेदन भेजें।
- (3) जब तक कि उपर्युक्त समयावधि के भीतर अन्यथा कारण न बताया जाए, उपर्युक्त कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाया जा सकता है। तथापि, कंपनी के निदेशक अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

कंपनी रजिस्ट्रार

सेवा में,
कंपनी/सभी निदेशक

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार डाक भेजने का पता

प्रति, सभी निदेशकों को: [यदि नोटिस केवल कंपनी के लिए जारी किया जाता है]

प्ररूप सं. एसटीके – 5**सार्वजनिक सूचना**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

सार्वजनिक सूचना सं. तारीख

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के अधीन मैसर्स, मैसर्स, मैसर्स कंपनियों का नाम हटाने के मामले में।

1. यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि,-

(i) निम्नलिखित कंपनियों ने अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ नहीं किया है, अर्थात्:-

मैसर्स (कंपनियों के नाम इंगित करें);

मैसर्स

(ii) निम्नलिखित कंपनियों ने दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कोई कारोबार या प्रचालन नहीं किया है और इस अवधि के भीतर धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, अर्थात्:-

मैसर्स (कंपनी का नाम इंगित करें);

मैसर्स

(iii) निम्नलिखित कंपनियों में, जापन के अभिदाताओं ने अभिदान का भुगतान नहीं किया, जो उन्होंने कंपनी के निगमन के समय करने का वचन किया था तथा धारा 10क की उप धारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा दायर नहीं की गयी है, अर्थात्:-

मैसर्स (कंपनी का नाम इंगित करें);

मैसर्स

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, इस सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उन का विघटन किया जाए।

(2) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

प्ररूप संख्या एसटीके-5क**सार्वजनिक सूचना**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (4) और उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7(1) के द्वितीय परंतुक अनुसरण में]

.....

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

सार्वजनिक सूचना सं.

तारीख

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित कंपनियों के नाम हटाने के मामले में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:-

1. सूचना दी जाती है कि, कंपनी रजिस्ट्रार के पास विश्वास करने का उचित कारण है कि कंपनियों, जिन का नाम (मंत्रालय की वेबसाइट के पृष्ठ का वेब लिंक प्रदान करें जहां नाम सूचीबद्ध हैं) पर सूचीबद्ध है।,-

(i) निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया है;

(ii) दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि में कोई कारोबार या प्रचालन नहीं किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन कंपनी की निष्क्रिय स्थिति प्राप्त करने हेतु इस अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है;

(iii) ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस अभिदान का भुगतान नहीं किया, जिसे कंपनी के निगमन के समय करने का वचन किया था तथा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा दायर नहीं की गई है;

[जो लागू न हो उसे काट दें]

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उनका विघटन किया जाए।

2. यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

[फा.स.1/28/2013-सीएल-V (पार्ट)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि 1174(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2016 के अधीन प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 355 (अ) तारीख 12 अप्रैल 2017, सा.का.नि. 350 (अ) तारीख 8 मई 2019, तथा सा.का.नि 420 (अ) तारीख 29 जून 2020 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2022

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, -

(i) in rule 4, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4) (a) Where the Registrar, on examining the application made in Form STK-2, finds that it is necessary to call for further information or finds such application or any document annexed therewith is defective or incomplete in any respect, he shall inform to the applicant to remove the defects and re-submit the complete Form within fifteen days from the date of such information, failing which the Registrar shall treat the Form as invalid in the electronic record, and shall inform the applicant, accordingly.

(b) After the re-submission of the Form or document, if the Registrar finds that the Form or document is defective or incomplete in any respect, he shall give further time of fifteen days to remove such defects or complete the Form, failing which the Registrar shall treat the Form as invalid in the electronic record and shall inform the applicant, accordingly.

(c) Any re-submission of the application in Form STK-2 made prior to the commencement of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2022 shall not be counted for the purposes of reckoning the maximum number of re-submissions of such Form.”.

(ii) for Form No. STK 1, Form No. STK – 5 and Form No. STK-5A, the following Forms shall respectively, be substituted, namely:-

“Form No. STK-1	
Notice by Registrar for removal of name of a company from the register of companies	
[Pursuant to sub-section (1) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 3 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]	

GOVERNMENT OF INDIA	
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS	
Office of the Registrar Of Companies, (State)	
(Address of ROC)	
Letter No. -----	Dated: -----
In the matter of M/s _____	Reference: In the matter of Companies Act, 2013
To,	
(1) Pursuant to sub-section (1) of section 248 of the Companies Act, 2013, notice is hereby given that as per available record,-	

☐ the company has failed to commence its business within one year of its incorporation;

☐ the company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455;

☐ the subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A.

(tick whichever is applicable)

(2) Therefore, on the basis of aforesaid ground(s), I intend to remove the name of company from the register of companies and request you to send your representation along with copies of the relevant documents, if any, within thirty days from the date of receipt of this notice.

(3) Unless a cause to the contrary is shown within the time period above mentioned, the name of the above mentioned company shall be liable to be removed from the register of companies. However, the directors of the company shall be liable for appropriate action under the Act.

Registrar of Companies

To

The Company/All Directors

Mailing address as per record available in Registrar of Companies Office

Copy to all directors : [in case the notice issued to the company only]

FORM No. STK – 5

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Office of the Registrar Of Companies
(Address of RoC)

Public Notice No.-----

Date:

Reference:

In the matter of striking off of companies under section 248 (1) of the Companies Act, 2013, of M/s._____, M/s._____, M/s._____

1. Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that, –

(i) the following companies have not commenced business within one year of their incorporation, namely :-

M/s. _____ (indicate names of companies);

M/s. _____;

(ii) the following companies have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455, namely:-

M/s. _____ (indicate names of companies);

M/s. _____;

(iii) in the following companies, the subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within

one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A, namely:-

M/s. _____ (indicate names of companies)

M/s. _____,

and, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of this notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his objection to the office address mentioned here-in-above within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies

FORM No. STK – 5A

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and second proviso to rule 7(1) of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Office of the Registrar of Companies
(Address of RoC)

Public Notice No.-----

Date:-----

Reference:

In the matter of striking off names of companies under sub-section (1) of section 248 of the Companies Act, 2013, as per details below:—

1. Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that, the companies, whose names are listed on the _____ (provide web link of the page on Ministry's website where the names are listed),-

- (i) have not commenced business within one year of their incorporation;
- (ii) have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013;
- (iii) the subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A;

[Strike off whichever is not applicable]

and, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of such notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his objection to the office address mentioned hereabove within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies .”.

[F.No.1/28/2013-CL-V(Part)]
 MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i) vide number G.S.R. 1174(E), dated the 26th December, 2016 and amended vide notification numbers G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017 , G.S.R 350(E) dated the 8th May, 2019 and G.S.R 420(E), dated the 29th June, 2020.